

राजस्थान सरकार

अभियोजन निदेशालय, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:—सं.3-4(2)संविदा/च.श्रे./अभि/2019/पार्ट-1/ 10255-60

दिनांक 12/10/21

— आदेश —

अभियोजन विभाग में काफी संख्या में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद रिक्त होने के कारण जिला स्तर पर सहायक निदेशक अभियोजन कार्यालयों में कार्य करने के लिये सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या क्रमांक एफ.17(10)डी.ओ.पी.ए.2/94 दिनांक 08.02.2018 में वर्णित शर्तों के अनुसार नियमित नियुक्ति दिनांक से राज्य कर्मचारियों को ए.सी.पी. नियमों के तहत तीन ए.सी.पी. देय होती है। इसलिये उच्च पद से सेवा निवृत्त कार्मिक की, यदि निम्न पद पर समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति की जाती है तो निम्न पद पर नियुक्त ऐसे कार्मिक को उस पद से सम्बन्धित सेवा के निम्नतम पद के लिये निर्धारित ग्रेड-पे/पे लेवल से ए.सी.पी. योजना के तहत स्वीकृत योग्य तीसरी उच्च ग्रेड-पे/पे लेवल के अनुसार (परिशिष्ट-क) समेकित पारिश्रमिक के आधार पर निम्नानुसार सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को उनके नाम के सामने कॉलम संख्या 5 में अंकित सहायक निदेशक अभियोजन कार्यालयों में राज्य कार्य करने हेतु चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद पर तुरन्त प्रभाव से संविदा पर अस्थाई रूप से नियुक्ति दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

क.स.	आवेदक का नाम	जन्म तिथि	सेवा निवृत्त से पूर्व विभाग का नाम	स.नि.अ.कार्यालय जिसमें नियुक्ति की जानी है।	वि.वि.
1.	2	3	4	5	6
1.	श्री नन्दलाल गुर्जर, च.श्रे. कर्म.	07.05.1960	राज.कर बोर्ड, अजमेर	सनिअ, अजमेर	प्रथम बार
2.	श्रीमति राजकुमारी शर्मा, च.श्रे.कर्म.	17.03.1960	जन स्वास्थ्य अभि. विभाग, अजमेर	सनिअ, अजमेर	प्रथम बार
3.	श्री मन्सूर आलम, जमादार,	03.07.1961	सनिअ झालावाड	सनिअ झालावाड	प्रथम बार
4.	श्री बापू लाल रैगर, च.श्रे.कर्म.	03.01.1961	न्याय विभाग, कोटा	सनिअ, कोटा	प्रथम बार
5.	श्री मोहनलाल, जमादार	15.07.1969	सा.नि.विभाग (वृत्त-झालावाड) कोटा	सनिअ, कोटा	प्रथम बार
6.	श्री अब्दुल कयूम, च.श्रे.कर्म.,	20.06.1960	सनिअ कोटा	सनिअ कोटा	प्रथम बार
7.	श्री कलुआ राम मीना, जमादार, ,	30.06.1958	सनिअ भरतपुर	सनिअ भरतपुर	प्रथम बार
8.	श्री केसर सिंह राजपुत, प्रोसेस सर्वर,	21.05.1959	न्याय विभाग, उदयपुर	सनिअ राजसमन्द	प्रथम बार
9.	श्री मांगीलाल तेली, गार्ड,	22.06.1960	वाणिज्यिक कर विभाग, वृत्त(ब) उदयपुर	सनिअ उदयपुर	प्रथम बार
10.	श्री रतन प्रकाश मीणा, च.श्रे.कर्म.	12.03.1960	सनिअ- जयपुर द्वितीय	सनिअ द्वितीय जयपुर शहर	प्रथम बार
11.	श्री नन्दलाल, च.श्रे.कर्म.	22.03.1958	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, बारा	सनिअ बारा	प्रथम बार
12.	श्री दिनेश चन्द्र शर्मा, च.श्रे.कर्म.,	15.02.1961	जल संसाधन विभाग वृत्त झालावाड	सनिअ झालावाड	प्रथम बार
13.	श्री उगम लाल खारोल, च.श्रे.कर्म.	01.01.1959	प्रारंभिक शिक्षा विभाग, भीलवाड़ा	सनिअ भीलवाड़ा	प्रथम बार
14.	श्रीमति सुमित्रा बाई दरोगा, प्रोसेस सर्वर,	25.03.1960	न्याय विभाग, भीलवाड़ा	सनिअ भीलवाड़ा	प्रथम बार

*(Handwritten Signature)*  
12/10

15.	श्री रामगोपाल बैरवा, प्रोसेस सर्वर,	30.05.1961	न्याय विभाग, रावतभाटा, चित्तौड़गढ़	सनिय चित्तौड़गढ़	प्रथम बार
16.	श्री पन्नाराम, च.श्रे.कर्म.	31.03.1961	सनिय- जालोर	सनिय जालोर	प्रथम बार
17.	श्री गुलाब राम, च.श्रे.कर्म.,	14.07.1960	जिला कलक्टर, जालौर	सनिय जालोर	प्रथम बार
18.	श्री पूनाराम, च.श्रे.कर्म,	09.01.1961	सनिय- जोधपुर	सनिय जोधपुर	प्रथम बार
19.	श्री रामप्रसाद शर्मा, च.श्रे.कर्म.	05.07.1958	सनिय- टोंक	सनिय टोंक	प्रथम बार
20.	श्री बग्गूराम, च.श्रे. कर्म.	30.07.1959	सनिय हनुमानगढ़	सनिय, हनुमानगढ़	द्वितीय बार
21.	श्री मोहनलाल चौरसिया, च.श्रे.कर्म.	23.07.1959	सनिय झालावाड	सनिय, झालावाड	द्वितीय बार
22.	श्री श्यामलाल, च.श्रे.कर्म.,	02.10.1959	सनिय श्रीगंगानगर	सनिय श्रीगंगानगर	द्वितीय बार
23.	श्री जेटू सिंह, च.श्रे.कर्म,	22.02.1960	सनिय पाली	सनिय, पाली	द्वितीय बार

- कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या क्रमांक एफ.17(10)डी.ओ.पी.ए-II/94 दिनांक 08.02.2018 के क्रम में नियुक्ति आदेश सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन अपने स्तर पर जारी करेंगे।
- पुनः नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी सहायक निदेशक अभियोजन कार्यालय में राशि रुपये 500/- के स्टाम्प पर अनुबन्ध पूर्ण कर हस्ताक्षरित करेंगे।
- चिकित्साधिकारी से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं पूर्ण निष्ठा व ईमानदारी से कार्य करने का शपथ पत्र सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन को प्रस्तुत करेंगे।
- सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन अपने स्तर पर आवश्यकतानुसार अन्य न्यायालयों में भी कार्यव्यवस्था के लिये निर्देशित कर सकता है।
- पुनः नियुक्ति सेवा निवृत्त कर्मचारियों की सेवा उक्त आदेश के जारी होने की दिनांक से एक वर्ष तक अथवा नियमित कार्मिकों के पदस्थापन में से जो भी पहले हो की अवधि तक दी जाती है। संविदा पुनर्नियुक्ति सेवायें किसी भी दशा में 65 वर्ष की आयु से अधिक नहीं होगी।
- इनके पारिश्रमिक का भुगतान बजट मद 2014-00-114-02-01(01) संवेतन व्यय (स्टेट फण्ड) से प्रभार्य होगा।
- यह आदेश प्रशासनिक विभाग गृह(ग्रुप-10) विभाग से प्राप्त सहमति आई.डी.संख्या 00082 दिनांक 01.10.2021 के आधार पर जारी किया जा रहा है।

सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन को निर्देश प्रदान किये जाते हैं कि सेवानिवृत्त कार्मिक को वर्णित शर्तों के अनुरूप कार्यग्रहण करवायें तथा आपके कार्यालय से सम्बन्धित संविदा कर्मचारी को नियुक्ति प्रदान करने के पश्चात उपस्थिति की सूचना भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

— Sd —

(चंचल मिश्रा)

निदेशक अभियोजन,

राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- अनुभागाधिकारी, गृह(ग्रुप-10)विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
- निजी सचिव, निदेशक अभियोजन, राजस्थान, जयपुर।
- सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा सहायक निदेशक अभियोजन।
- लेखा शाखा/रक्षित पत्रावली।

12/10  
निदेशक अभियोजन,  
राजस्थान, जयपुर